(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 172/2022

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2022/69

बउनवान

1. अब्दुल रहीम पुत्र अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी रावण जी का चौक, लंका कॉलोनी मस्जिद के पास, जिला बाराँ
2. आबिद अली पुत्र अमजद अली मुसलमान निवासी बावड़ी के आगे, नयापुरा मस्जिद के पास, जिला बारां
3. साजिद अली पुत्र अमजद अली जाति मुसलमान निवासी बावड़ी के आगे, नयापुरा मस्जिद के पास, जिला बारां
4. माजिद अली पुत्र अहमद अली मुसलमान निवासी बावड़ी के आगे, नयापुरा मस्जिद के पास, जिला बारां

(अपीलांटगण)

बनाम

1. इनायत तुल्ला पुत्र हिकमत तुल्ला जाति मुसलमान निवासी अटरू हाल सकतपुर तह. अटरू जिला बारां
2. किरण आयु पत्नि अश्विनी जाति धाकड़ निवासी खेरली फाटक, कोटा जिला कोटा
3. रश्मि आयु पत्नि नहुषकुमार जाति धाकड़ निवासी खेरली फाटक, कोटा जिला कोटा
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार अटरू

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू के तस्दीकी इन्तकाल न. 1052 दिनांक 14.02.2022 वाके ग्राम सकतपुर तहसील अटरू अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– अनुपस्थित (रेस्पो क्र.1 ता 3)
3– पेरोकार सरकार (रेस्पो. क्रम 4)

निर्णय दिनांक 03.06.2022

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के तस्दीकी इंतकाल संख्या 1052 दिनांक 14.02.2022 ग्राम सकतपुर तहसील अटरू से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 10.03.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये [illegible] के माध्यम से तलबी करवाकर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से [illegible] की प्रमाणित प्रति तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में रेस्पो. क्रम 1 [illegible] अनुपस्थित है एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 4 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में अपीलांटगण के अभिभाषक की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण बाद अखबार में साया के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर अपीलांटगण के अभिभाषक की एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:35:57 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वाके ग्राम सकतपुर तहसील अटरू में आराजी खाता सं. 17 खसरा नं0 363 रकबा 0.35 है. व खसरा नं0 792 रकबा 2.25 है. स्थित है। उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में रेस्पो. क्रम 1 के खाते में दर्ज थी। रेस्पो0 क्रम 1 उक्त आराजी में से खसरा नं. 792 रकबा 2.25 है. का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.02.2022 से रेस्पो. क्रम 2 व 3 के पक्ष में किया गया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर जरिये नामान्तरकरण सं. 1052 दिनांकित 14.02.2022 से रेस्पो. क्रम 2 व 3 के संभाग में दर्ज करने का आदेश दिया गया है, जो गलत एवं अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। आराजियात से सम्बन्धित वाद पत्र सहखातेदारान सायरा जो अपीलांटगण की नानी है, के द्वारा धारा 188 राज0 टी0 ए0 के तहत उपजिला कलक्टर, छबड़ा में बउनवान सायरा बनाम इनायततुल्ला वगैराह वाद सं. 105/77 पेश किया था जिसमें न्यायालय उपजिला कलक्टर, छबड़ा द्वारा दिनांक 03.07.1979 को निर्णय पारित करते हुए खातेदारी की घोषणा राजीनामा के आधार पर गलत तरीके से निर्णित किया गया था क्योंकि सायरा केवल मात्र धारा 188 आर.टी.ए. के तहत वाद लेकर आयी थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ., छबड़ा द्वारा डिक्री किया जाना चाहिए था। किन्तु उक्त वाद धारा 53 आर.टी.ए. के तहत प्रस्तुत न होने के बावजूद धारा 53 आर. टी.ए. के तहत डिक्री कर खातेदारी प्रदान की गयी थी जो कानून विरूद्ध है। उक्त डिक्री के आधार पर इंतकाल नं. 338 दिनांक 30.12.1980 को खोला जाकर खातेदारी दर्ज की गयी थी, जो प्रभावशून्य है एवं निरस्तनीय है। उक्त इंतकाल के तहत राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम के आधार पर रेस्पो. क्रम 1 द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम का फायदा उठाकर विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया जिसके आधार पर रेस्पो. क्रम 2 व 3 के पक्ष इंतकाल नं0 1052 दिनांक 14.02.2022 खुलवा लिया है तथा उक्त इंतकाल के आधार पर रेस्पो. क्रम 2 व 3 राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अंकित करवाने को आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ., छबड़ा के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.1979 को निरस्त करवाने के लिये अपीलांटगण ने उप जिला कलक्टर, अटरू के न्यायालय में आदेश 23 नियम 3 तथा धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र बउनवान सायरा बनाम इनायततुल्ला प्रकरण सं. 16/2021 प्रस्तुत किया हुआ है जो वर्तमान में विचाराधीन है। अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2019 आर.बी.जे. 776—782 न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर अपील एल.आर./4176/2019/अजमेर एवं न्यायिक दृष्टांत 2021(3) सी.जे.(सिविल) (एससी) 1145 जितेन्द्र सिंह बनाम मध्यप्रदेश सरकार, न्यायिक दृष्टांत 2021(3) सी.जे.(सिविल) (एससी) 920 जानकीमल बनाम एस.के. कुमारस्वामी प्रस्तुत की गई।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि नामान्तरकरण सं.1052 दिनांक 14.02.2022 तहसीलदार, अटरू बाबत आराजी वाके ग्राम सकतपुर तहसील अटरू की खसरा नं. 792 रकबा 2.25 हैक्टर निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण में अपीलांटगण के अभिभाषक की एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा नामान्तरकरण सं.1052 दिनांक 14.02.2022 वाके ग्राम सकतपुर तहसील अटरू जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है जिसमे यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है। अपीलांटगण सक्षम न्यायालय में उक्त विक्रय पत्र को शून्य घोषित करवाएं।

अतः परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:35:57 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 03.06.2022 को मेरे द्वारा खुले इजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ